न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, हनुमानगढ़

प्र. सं. 16/2022 अनवान- विनोद बनाम CALA & S.D.O. हनुमानगढ़ व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

26.08.2022

वकुलाए फरीकेन उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री विनोद द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 3G(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रश्नगत प्रकरण भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 754-K हेतु अवाप्तशुदा भूमि चक 16 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़ के पत्थर नं. 130/294 मु. नं. 45 किला नं. 18/2, 19/2, 22/2, 23/2 कुल किता 4 में 0.4780 हैक्ट. है जो अप्रार्थी सं. 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है जिसे आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्त्रण के पश्चात छोटे–छोटे आवासीय भूखण्ड काटकर बालाजी विहार प्रथम के नाम से कॉलोनी बनाई गई। अप्रार्थी सं. 03 से प्रार्थीया ने उपरोक्त भूमि में काटे गये भूखण्डों में से भूखण्ड सं. 16(बीच का) साईज 22.6 गुणा 45 यानि 94.09 वर्गमीटर यानि 0.009 हैक्ट. खाली सफेद जगह को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2012 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हुआ है। विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि भूखण्ड का नामान्तरणकरण प्रार्थी के नाम से जरिये इन्तकाल संख्या 11 दिनांक 13.12.2019 को दर्ज कागजात पटवार माल हो चुका है। इसलिए प्रार्थी की उक्त खरीदशुदा भूमि का मुआवजा प्रार्थी के नाम से बनवाया जाकर सक्षम प्राधि.(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ से प्रार्थी को दिलवाये जाने के सम्बन्ध में। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब व दौराने बहस कथनानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3H(3) के प्रावधानों के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का वितरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा हकदार व्यक्तियों को भुगतान किया जावेगा। यदि उक्त रकम वितरण में किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में अधिनियम की धारा 3H(4) के तहत प्रधान सिविल न्यायालय को उक्त विवाद के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है– ''यदि उक्त रकम या किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको उक्त रकम का या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह भूमि स्थित है, विनिश्चिय के लिए निर्देशित करेगा।'' इसलिए अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के वितरण का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को है एवं मुआवजा राशि वितरण में विवाद होने की दशा में सुनवाई का अधिकार केवल प्रधान सिविल न्यायालय को ही है।

उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3G(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर है जिसमें इस न्यायालय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम (मुआवजा राशि) किसी पक्षकार को स्वीकार्य नहीं है तो उक्त रकम/मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण के सम्बन्ध में किसी पक्षकार के आवेदन पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु अवॉर्ड राशि या मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण का न होकर एक से ज्यादा पक्षकारों में अवॉर्ड राशि वितरण से

Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सम्बन्धित है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3H(3) के प्रावधानों के अनुसार भूमि की मुआवजा राशि का वितरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा हकदार व्यक्तियों को भुगतान किये जाने का प्रावधान है व उक्त रकम के वितरण में किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में धारा 3H(4) के तहत विवाद के विनिश्चय के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि वितरण का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रधान सिविल न्यायालय को प्रेषित कर सकता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अवाप्तशुदा भूमि की अवॉर्ड राशि के सम्बन्ध में सभी पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र मुआवजा राशि वितरित किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर एव आर्बिट्रेटर हनुमानगढ़	